न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 58/2021 अपील (GCMS/2021/78)
पंजीयन दिनांक - 02.08.2021
निर्णय दिनांक - 28.09.2021

1. श्रीमती गुलाबी पत्नि श्री मोड़ा सुथार, निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ हाल आमेट तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता श्री रूपा सुथार, निवासी आमेट तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति वक्त राजीनामा प्रस्तुतीः-
1. श्री डी.एस.शक्तावत - वकील अपीलार्थी
2. श्री शुरवीरसिंह एवं प्रत्यर्थी-1 स्वयं - वकील प्रत्यर्थी-1

प्रकरण संख्या-17/2019 बउनवानी श्रीमती गुलाबी सुथार बनाम श्री मांगीलाल सुथार में न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-17/2019 बउनवानी श्रीमती गुलाबी सुथार बनाम श्री मांगीलाल सुथार में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-272 निर्णय दिनांक 25.01.1983 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि अपीलार्थी ने श्री रूपा पिता श्री वरदा सुथार, निवासी आमेट से तहसील आमेट के आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 3227 रकबा 0.1500 हैक्टेयर व आराजी संख्या 3108 में से 0.0300 हैक्टेयर भूमि कुल किता 03 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.04.1979 से क्रय की। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 272 भरा, जिसे तहसीलदार, आमेट द्वारा बाद जांच स्वीकार कर लिया लेकिन अपीलान्ट ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.04.1979 एवं

पंजीयन दिनांक 16.04.1979 से उक्त तीनो आराजी क्रय की परन्तु जो नामान्तकरण खोला गया वह सिर्फ आराजी संख्या 3223 व 3227 का स्वीकृत किया गया एवं आराजी संख्या 3108 में से 0.0300 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं किया गया। श्री रूपा की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त आराजी संख्या 3108 में से 0.0300 हैक्टेयर भूमि उसके पुत्र श्री मांगीलाल सुथार के नाम बोल रही है, जबकि उक्त आराजी अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है, जिससे उक्त आराजी का नामान्तरकरण भी अपीलार्थी के नाम स्वीकृत किया जाये।

- जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.04.2021 से उक्त अपील को खारिज करते हुए निर्णय पारित किया कि-

"प्रस्तुत अपील 37 वर्ष बाद पेश की है जिसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता है तथा जिन खातेदारों के नाम जमाबंदी में है। उन्हे सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर दिये बिना अपील का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। 37 वर्ष पहले हुई रजिस्ट्री पर कार्यवाही विवरण के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है तथा तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 272 को यथावत रखा जाता है।"

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 02.08.2021 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 27.09.2021 को वकील अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या-1 श्री मांगीलाल सुथार मय अधिवक्ता श्री शुरवीरसिंह उपस्थित हुए। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या-1 श्री मांगीलाल सुथार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सिप्रस प्रस्तुत किया।

प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र राजीनामा में अंकन किया कि

"रेस्पोडेंट मांगीलाल के द्वारा किया स्वीकारोक्ति की जाती है कि उसके पिता श्री रूपा पिता श्री वरदा जी सुथार निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.4.1979 से वादग्रस्त भूमियां अपीलान्ट को विक्रय की गई थी, जिसके अनुसरण में नामान्तरण संख्या 272 भरा गया था किन्तु उसमें सहवन से आराजी संख्या 3108 में से क्रयशुदा 0.0300 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं भरा गया जबकि उक्त भूमियां भी उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के पूर्व में ही अपीलान्ट को विक्रय की जा चुकी है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होकर मौके पर केवल अपीलान्ट ही कब्जे में है, जिससे उक्त आराजी संख्या 3108 रकबा 0.0300 हैक्टेयर अपीलान्ट के नाम पर दर्ज की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है।

मैं रेस्पोडेंट संख्या 01 मांगीलाल सुथार, श्री रूपा सुथार का एकमात्र वारिस होकर वर्तमान में उक्त आराजी संख्या 3108 का कुल रकबा 0.2300 हैक्टेर होकर मुझ रेस्पोडेंट के नाम पर 243/575 हिस्सा दर्ज है जबकि इस हिस्से में से विक्रित रकबा 0.0300 हैक्टेयर अपीलार्थी को विक्रय किया जा चुका है जिससे उक्त आराजी संख्या 3108 में से मुझ रेस्पोडेंट 01 हिस्से में से 0.0300 हैक्टेयर भूमियां अपीलार्थी के नाम पर माफिक विक्रय पत्र की जाती है तो मुझे किसी प्रकार का कोई उजर-ऐतराज नहीं है।"

रेस्पोडेंट संख्या-1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र से निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अभिलेख पर लिया जाकर इसकी कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित माफिक समझौता नामान्तरकरण अपील स्वीकार फरमाई जाकर राजस्व ग्राम आमेट के आराजी संख्या 3108 में उसके हिस्से की भूमियों में से 0.0300 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा फर्दअहकाम पर भी प्रस्तुत अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होने का अंकन कर हस्ताक्षर किये। दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रत्यर्थी-1 की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी को राजीनामा/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सिप्रस पर उनके द्वारा राजीनामा/समझौता सही होना स्वीकार किया गया। हमने प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। चुंकि पक्षकारान उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में हम प्रकरण तहसीलदार, आमेट को प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के दृष्टिगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को उपशमित किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.04.2021 अपास्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण प्रकरण तहसीलदार, आमेट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर पूर्ण जांच एवं परिक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आमेट को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर